



‘कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी’ में देरी

प्रलिमिन्स के लिये:

संसदीय स्थायी समिति, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी

मेन्स के लयि:

दविाला और दविलयिपन संहति, दविाला और दविलयिपन संहति (संशोधन वधियक), 2021

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा द्विवाला और दवालीयापन संहिता (IBC), 2016 के तहत 'कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी' प्रक्रिया में देरी पर ध्यान आकर्षित किया गया है।

- इसके तहत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLTs) में लगातार हो रही रक्तियों के बारे में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) को सूचित किया गया है।
- इससे पहले सरकार ने लोकसभा में [द्विवाला और द्विवालिपन संहिता \(संशोधन विधेयक\), 2021](#) पेश किया, जो [सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों \(MSMEs\)](#) के लिये एक वैकल्पिक द्विवाला समाधान प्रक्रिया पेश करता है जिसे [परी-पैकेज्ड द्विवाला समाधान प्रक्रिया \(PIRP\)](#) कहा जाता है।

दवाला और दवालियापन संहति:

- इसे वर्ष 2016 में अधिनियमित किया गया था। यह व्यावसायिक फर्मों के दवािला समाधान से संबंधित विभिन्न कानूनों को समाहित करती है।
- यह दवािलियापन की समस्या के समाधान के लिये सभी वर्गों के देनदारों और लेनदारों को एक समान मंच प्रदान करने के लिये मौजूदा विधायी ढाँचे के प्रावधानों को मजबूत करती है।

नोट

- **इन्सॉल्वेंसी:** यह एक ऐसी स्थिति होती है, जिसमें कोई व्यक्ति या कंपनी अपने बकाया ऋण चुकाने में असमर्थ होती है।
- **बैंकरप्सी:** यह एक ऐसी स्थिति है जब किसी सक्षम न्यायालय द्वारा एक व्यक्ति या संस्था को दवालिया घोषित कर दिया जाता है और न्यायालय द्वारा इसका समाधान करने तथा लेनदारों के अधिकारों की रक्षा करने के लिये उचित आदेश दिया गया हो। यह किसी कंपनी अथवा व्यक्ति द्वारा ऋणों का भुगतान करने में असमर्थता की कानूनी घोषणा है।

प्रमुख बद्धि

परमुख चर्त्ताएँ:

- **NCLT में रक्तिथियाँ:**
 - देश भर में NCLT की ब्रांचों में सदस्यों की स्वीकृत संख्या कुल 63 है जनिमें वर्तमान में केवल 29 सदस्य हैं ।
- **स्वीकृति में देरी:**
 - समति ने कहा कि NCLT द्वारा इन्सॉल्वेंसी/दवाला मामलों को स्वीकार करने में हुई देरी और समाधान योजनाओं की मंजूरी, IBC के तहत समयसीमा का पालन न करने के प्रमुख कारण थे ।
 - NCLT की ओर से मामलों को स्वीकार करने में हुई देरी में चक से मालिकों को फंड डायवरट करने और परसिंपततथियों को सथानांतरति करने

का अवसर मिला।

- **नर्णियों को चुनौती दी गई:**

- IBC के तहत कई हाई प्रोफाइल मामलों में हतिधारकों द्वारा कई नर्णियों को चुनौती दी गई। इनमें से कई अपील दवालाया कार्यवाही को धीमा करने के लयि की गई हैं।

- **वलंबित योजनाएँ:**

- जनि मामलों में लेनदारों ने नरिदषिट समयसीमा के बाद प्रसुतुत समाधान योजनाओं का मूलयांकन कयिा है, वे बोलीदाताओं को नरिधारति समयसीमा के भीतर बोली लगाने में हतोत्साहति करेंगे और ऐसी योजनाएँ देरी और मूल्यहवास को भी बढावा देती हैं।

सफारशें:

- **समय पर कार्रवाई:**

- NCLT द्वारा एक डफिल्ट कंपनी को दवाला कार्यवाही में शामिल करने और 30 दनों के भीतर इसके नर्यितरण को एक समाधान पेशवर को सौपने की आवश्यकता है।

- **मंत्रालय को ज़मिमेदारी लेनी चाहयिे:**

- नोडल मंत्रालय के रूप में MCA को एनसीएलटी/नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट टरबियूनल में परचालन प्रक्रयाओं को सुव्यवस्थति करने हेतु अधकि ज़मिमेदारी लेनी चाहयिे, जबकि समाधान, वसूली, समय आदिके संबंध में कार्य की गति, नपिटान और परणामों की लगातार नगरानी एवं वशिलेषण कयिा जाना चाहयिे।

- **IBC में संशोधन:**

- मौजूदा आरथकि माहौल में एमएसएमई, जो कि IBC के तहत परचालन लेनदार हैं, को अधकि सुरक्षा प्रदान करने के लयि आईबीसी में संशोधन कयिा गया है।
 - वत्तितीय लेनदार वे हैं जनिका इकाई के साथ संबंध एक शुद्ध वत्तितीय अनुबंध है, जैसे कऱ्त्रण या ऱ्त्रण सुरक्षा।
 - परचालन लेनदार वे हैं जनिका दायतिव इकाई संचालन को लेकर लेन-देन से है।

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधकिरण

परचिय

- केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में कंपनी अधनियिम, 2013 की धारा 408 के तहत 'राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधकिरण' (NCLT) का गठन कयिा था।
- यह भारत में पंजीकृत कंपनयिों को नर्यितरति करने हेतु एक अर्द्ध-न्यायकि नकाय के रूप में स्थापति कयिा गया है और इसने 'कंपनी लॉ बोर्ड' का स्थान लयिा है।
- इसके पास भारत में पंजीकृत कंपनयिों को नर्यितरति करने हेतु समग्र शकतयिाँ मौजूद हैं।
 - NCLT और NCLAT की स्थापना के साथ कंपनी अधनियिम, 1956 के तहत गठति 'कंपनी लॉ बोर्ड' भंग कर दयिा गया था।
- यह नागरकि प्रक्रया संहति में नरिधारति नयिमों से बाध्य है और प्राकृतकि न्याय के सदिधांतों द्वारा नरिदेशति है, साथ ही यह अधनियिम के अन्य प्रावधानों और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कसी भी नयिम के अधीन है।
- टरबियूनल और अपीलीय टरबियूनल को अपनी प्रक्रया को नर्यितरति करने की शकति है।

अपील

- टरबियूनल के आदेश के वरिद्ध NCLAT में अपील की जा सकती है। NCLT के आदेश या नरिणय से व्यथति कोई भी अपीलकर्त्ता आदेश या टरबियूनल के नरिणय की प्रतप्राप्त होने की तारीख से 45 दनों की अवधकिे भीतर अपील कर सकता है।

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधकिरण (NCLAT)

परचिय

- NCLAT का गठन कंपनी अधनियिम, 2013 की धारा 410 के तहत 'राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधकिरण' (NCLT) के आदेशों के खलिाफ अपील सुनने के लयि कयिा गया था।
- यह दवाला और दवालियापन संहति, 2016 की धारा 61 के तहत पारति आदेश तथा दवाला और दवालियापन संहति, 2016 की धारा 202 और 211 के तहत 'भारतीय दवाला और दवालियापन बोर्ड' (IBBI) द्वारा पारति आदेशों के खलिाफ भी एक अपीलीय अधकिरण है।

अपील

- NCLAT के कसी भी आदेश के वरिद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है।

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/delays-in-corporate-insolvency>

